

(192)

(51)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

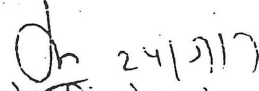
क्र. म. 18(25)नवि/जयपुर सामान्य/2014पार्ट

जयपुर दिनांक 24 MAY 2017

आदेश

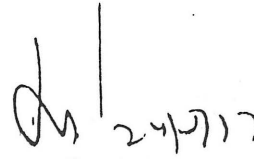
राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 27.04.2017 के द्वारा जारी आदेश में चू-उपयोग तथा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन संबंधित न्यास/प्राधिकरण अधवा मण्डल की बैठक में अनुमोदित कराकर लागू किये जाने के आदेश दिनांक 04.05.2017 को जारी किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान में दायर सिविल रिट पिटिशन सं. 1554/2004 गुलाब कोठारी व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 के क्रम में जारी निर्देश दिनांक 22.05.2017 की अनुपालना में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.04.2017 के संशोधन प्रस्ताव संबंधित न्यास/प्राधिकरण अधवा मण्डल की बैठक में अनुमोदन पश्चात् आग्रिम आदेशों तक लागू नहीं किये जाते तथा निर्णय को उस समय तक के लिये स्थगित रखा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन सभस्त नगरीय निकाय को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम